ऑन लाईन नं. GCMS 2021/243

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 27/2021

श्री मदन लाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री भिष्म सारस्वत पुत्र श्री गणेशाराम सारस्वत, जाति ब्राहम्ण निवासी 27 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– बीकानेर एग्रो फूडस, 77ए, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 25.11.2021**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदनलाल राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 18.08.2011 व श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश क्रमांकःएफएसएसए/2020/750 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभियान अवधि के लिए श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः एफएसएसए/2020/818 दिनांक 21.10.2020 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र आवंटीत किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री मनदन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2020 को दोपहर बाद 04.15 पी. एम. पर फर्म मै. बीकानेर एग्रो फूडस, 77–ए, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर भिष्म सारस्वत पुत्र श्री गणेशाराम सारस्वत, जाति ब्राहम्ण निवासी 27 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **मावा** बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर उपस्थित गवाहान श्री रामप्रसाद पुत्र श्री द्वारका प्रसाद व श्री राकेश सचदेवा , एलटी कर्मचारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष विक्रेता श्री भिष्म सारस्वत की उपस्थित में फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म में खाद्य पदार्थ **मावा** लगभग 50 किलोग्राम डीफ्रिज में आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उपस्थित गवाहान के समक्ष श्री भिष्म सारस्वत से उनके

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा विक्रय किये जा रहे मावा में से 1 किलोग्राम **मावा** खरीद किया जिसके पेटे 280/– रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे , गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। साथ ही विक्रेता को उसी समय फार्म नम्बर 5 ए पर जांच हेतु नमूमा संग्रह करने की लिखित सूचना देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे , गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। फार्म नम्बर 5 मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये , जिस श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1055** लिखा व अन्य विवरण अंकित कियागया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल 1 किलोग्राम **मावा** को चार भाग बराबर करके चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक बोतल को विक्रेता व गवाहों को दिखकर बोतलों में डालकर व फोर्मलिन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलो को एयर टाइट सील बन्द किया गया। प्रत्येक प्लास्टिक बोलत पर गोंद से लेबल चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक के–1055 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर पेंदे से सिर तक लेकर सिर पर घुमाते हुए पेंदे तक लगाकर गोलाई में गोंद से चिपकाई। उक्त प्रकार से तैयार प्रत्येक नमूना बोतल को उपर नीचे व आजु बाजु धागे से बान्धकर नियमानुसार नीचे , उपर व दांये–बांये चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1055 मावा** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता भिष्म सारस्वत ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/115/एक्ट/2020/116 दिनांक 29.10.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1055 मावा (Sub-Standard Food)** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त भिष्म सारस्वत पुत्र श्री गणेशाराम सारस्वत, जाति ब्राहम्ण निवासी 27 विनोबा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मावा (Sub-Standard Food)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स बीकानेर एग्रो फूडस दुकान नम्बर 77ए पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी की दुकान में दिनांक 26.10.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा मावा की जांच की गई जिसमें मावा **Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मावा में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मावा** का सैम्पल **के–1055** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/115/एक्ट/2020/116 दिनांक 29.10.2020 द्वारा सब (Sub-Standard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी मैसर्स बीकानेर एग्रो फूडस दुकान नम्बर 77ए पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी की दुकान में दिनांक 26.10.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा मावा की जांच की गई जिसमें मावा **Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मावा में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mawa**" bearing Code No. and Sr. No. K-1055 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Sub-Standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addivtive) Regulations, 2011. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त भिष्म सारस्वत पुत्र श्री गणेशाराम सारस्वत – फर्म बीकानेर एग्रो फूडस, 77ए, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त भिष्म सारस्वत को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **मावा** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर